पत्रांक– 243/ACS

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/
सभी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय – विभाग से स्वीकृत योजनाओं में कार्य प्रारंभ करने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में आप अवगत हैं कि विधान सभा चुनाव, 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता शीघ्र ही लागू होने वाली है एवं आदर्श आचार संहिता के लागू होने के उपरांत कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा इसलिए यह आवश्यक है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जिस भी पैकेज की वित्तीय निविदा निष्पादित हो चुकी है एवं LOA निर्गत किया जा चुका हो उसमें तत्काल बिना किसी विलंब के कार्य प्रारंभ कर दिया जाय।

विभाग द्वारा पूर्व में यह निर्देश दिया गया था कि जितनी भी सड़कें RRSMP योजनाये के तहत स्वीकृत की गयी है बरसात के दिन में उन सभी में POT FILLING का कार्य कर दिया जाय ताकि दिवाली एवं छठ त्यौहार के दौरान तथा निर्वाचन के लिए शसस्त्र बलो के एवं चुनाव से जुड़े हुए दलों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। POTLESS सड़कों के कार्य का जो दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है, उसमें राज्य का औसत अभी भी 83 प्रतिशत लगभग है जो कि अबतक 100 प्रतिशत से जाना चाहिये था।

02 अक्टूबर से 04 अक्टूबर तक सरकार के चार सचिव वरीय पदाधिकारियों द्वारा चार अगल जिलों का दौरा किया गया था एवं उसमें कई प्रमंडलों में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है, जिसके लिए उन प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही भी की गयी है।

अतः अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय।

1. RRSMP योजना के तहत जितनी भी योजनाओं का वित्तीय बिड निष्पादित होकर कार्य आवंटित हो चुका है उन सभी में संवेदकों को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देकर सड़को को POTLESS करने का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाय।

2. 15 अक्टूबर तक राज्य स्तर से वरीय पदाधिकारियों की टीम पुनः जिलों का दौरा करेगी एवं इस दौरान यदि सड़के POTLESS स्थिति में नहीं पायी गयी तो संबंधित संवेदकों के साथ–साथ कार्य में संलग्न सभी अभियंताओं पर भी कार्यवाही की जायेगी।

3. जैसा कि पूर्व में निदेशित है कि अपने–अपने प्रमंडल के सभी सहायक अभियंता, सभी कनिय अभियंता एवं सभी तकनीकी पर्यवेक्षको को सड़के आवंटित कर यह सुनिश्चित किया जाय कि वे

प्रत्येक सड़क का निरीक्षण करें एवं POTLESS होने का प्रतिवेदन विभागीय MIS पर नियमित रूप से अपलोड करें।

4. जिन सड़कों पर किसी कारणबश निविदा निष्पादित नहीं हो पायी है एवं वे सड़के चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सड़को के लिए जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन भेजवाया जाय ताकि विभागीय तौर पर उन सड़कों में POTLESS बनाने का कार्य अनुरक्षण मद से किया जा सके।

5. निर्वाचन एवं पर्व त्यौहार का मौसम देखते हुए कोई भी पदाधिकारी बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना कोई मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं संवेदकों की सतत निगरानी कर योजना में पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 243/ACS दिनांक– 5-10-25
प्रतिलिपि :–सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 243/ACS दिनांक– 5-10-25
प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 243/ACS दिनांक– 5-10-25
प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 243/ACS दिनांक– 5-10-25
प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार को सदर सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 243/ACS दिनांक– 5-10-25
प्रतिलिपि :–मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।